फोन/फैक्स नं0– 01375–224233
E-Mail dfobarkot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर– 9208008000

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

पंत्राक– 2472 / 12–1 दिनांक,बड़कोट, मार्च, 22, 2018।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़,
देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज–9 के अन्तर्गत एन0एच0 94 खरादी नगाणगांव के कि0मी0 9 से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 4.300 कि0मी0) 1.346 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपकी ई0डी0एस0 क्वैरी दिनांक 30.01.2018।

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 क्वैरी द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक–53 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0 दिनांक 19.02.2018 जो इस कार्यालय में दिनांक 22.03.2018 को प्राप्त हुआ है के अनुसार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	आपत्ति निराकरण सूचना
1	Copy of map indicating location of alternative alignment is not uploaded at para D-a of online part I. Instead of this, Topo sheet map has been uploaded.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन पार्ट 1 के पैरा D-a में अपलोड की गई टोपो सीट मैप में alternative alignment नीले रंग द्वारा दर्शाया गया है।
2	Copy of MOU/agreement executed between present owner and user agency has not been uploaded at para L-g online part I. Instead of this, certificate of suitability of land selected for CA has wrongly been uploaded relevant document at designated places of online part I	आनलाईन पार्ट 1 के पैरा L-g के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बचाणगांव में उपलब्ध कराई गई दो गुना सिविल सोयम भूमि सम्बन्धी MOU/agreement प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अपने पत्रांक–2692 / ग्यारह–19(2015–16) दिनांक 15.03.2016 से उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित / नामान्तरित की गई है जिसे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा यथा स्थान अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय

(जे0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

12-1 land transfer..

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड पुरोला ने अपने पत्र संख्या 662/पी.एम.जी.एस.वाई./सि०ख० दिनांक 01.09.2015 के द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड नौगांव में एन०एच०-94 खरादी नगाणगांव के कि०मी० 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि 4.364 है० भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बड़कोट ने अपने पत्र संख्या सं०/र०का०/विविध जांच/2015-16 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व उपनिरीक्षक चपटाड़ी से जांच करवायी गयी । जांच आख्यानुसार बचाणगांव के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र चपटाड़ी अन्तर्गत खसरा सं० 1133 रक्बा 0.940 है०, 1229 रक्बा 0.439 है०, 1313 रक्बा 0.826 है०, 1365म० रक्बा 0.202 है०, 2320 रक्बा 0.862 है०, 2318 रक्बा 0.559 है० एवं 2349 रक्बा 0.518 है० कुल रक्बा 4.346 है० भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज अभिलेख है । उक्त ग्राम में प्रस्तावित भूमि के नक्शा, खसरा, उद्धरण खतौनी मय संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनाओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार मौजा ग्राम बचाणगांव में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व में वर्ग-9(3)ड. खाता संख्या 19 में दर्ज खसरा संख्या 1133 रक्बा 0.940 है0, 1229 रक्बा 0.439 है0, 1313 रक्बा 0.826 है0, 1365म0 रक्बा 0.202 है0, 2320 रक्बा 0.862 है0, 2318 रक्बा 0.559 है0 एवं 2349 रक्बा 0.518 है0 कुल रक्बा 4.346 है0 सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

R.K.I
तहसीलदार
बड़कोट
30/3/16

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

तहसीलदार, बड़कोट।
कृ० आवश्यक कार्यवाही करें।

उप जिला अधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)
29-3-2016

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2692 /ग्यारह-19 (2015-16) दिनांक / 5 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ।
2- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/ तहसीलदार तहसीलदार बड़कोट ।
3- अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.सिचाई खण्ड पुरोला ।

14/03/16

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

<u>परियोजना का नाम</u> – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–7 के अन्तर्गत एन0 एच0 94 खरादी नगाणगांव के किमी0 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण।

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि एन0 एच0 94 खरादी नगाणगांव के किमी0 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि खसरा संख्या 1133 रकवा 0.940 है0 खसरा संख्या 1313 रकवा 0.826 है0 खसरा संख्या 1365 रकवा 0.064 एवं खसरा संख्या 2320 रकवा 0.862 है0 कुल रकवा 2.692 उत्तराखण्ड 9(3)ड. में दर्ज है तथा यह भूमि राजस्व विभाग बड़कोट के स्वामित्व में है, एवं इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी) Junior Engineer PMGSY ID Purola Uttarkashi	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)
तहसीलदार बड़कोट बड़कोट (उत्तरकाशी)	R.S. ... 24/4/17	उपजिलाधिकारी उप जिलाधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी)